न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 163/2025 (GCMS : 2025/246)

भगवती पत्नी स्व. हंसराज जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एस.डी. (मघेवाली ढाणी), तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **शकुन्तला चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर**
2. **बंशीलाल** पुत्र श्री तुलाराम जाति बिश्नोई निवासी 1 एमएसडी तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
3. **जगदीशनाथ** पुत्र खोलायत श्योकोरी जाति नाथ निवासी मघेवाली ढाणी तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार जरिये **तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीपपाल सैनी उपस्थित हुए। अप्रार्थी को जारी नोटिस विधिवत् तामील के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हुआ है। दावे के वादी संख्या 2 हंसराज की मृत्यु हो चुकी है, जिसके 07 जायज विधिक वारिस है। भगवती उर्फ भागवन्ती देवी पत्नी हंसराज पूर्व ही ही वाद मे प्रार्थीया संख्या 1 है। प्रार्थीगण को पूर्व में विधिक तथ्यों की जानकारी न होने के कारण प्रार्थीगण अपने पिता के अधिवक्ता को पिता हंसराज के देहान्त की जानकारी समय पर नहीं दे सके। अधीनस्थ न्यायालय इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 राजनैतिक प्रभाव के व्यक्ति है, उनके रिश्तेदार राजनैतिक पार्टीयों में है, जिनके द्वारा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल इस प्रकरण में किया जा रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने खेत के आस पड़ोस के काश्तकारों को ऐलानियां बताया है कि पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है, अब कुछ ही दिनों में प्रकरण का निर्णय भी हमारे पक्ष में हो जायेगा, इन काश्तकारों द्वारा प्रार्थीया को इस सम्बन्ध में सूचना दी है, जिस पर प्रार्थीया को संदेह [illegible] है कि प्रार्थीया के साथ इंसाफ नहीं हो पायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद पत्र मे राजनैतिक प्रभाव का असर पीठासीन अधिकारी पर सा[illegible] देखा जा सकता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीया [illegible] मूल प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] नियम 3 एवं 9 सपठित धारा 151 सीपीसी को बिना किसी आधार पर खारिज कर दिया है जबकि वादी संख्या 2 की पत्नी प्रार्थीया पहले से ही प्रकरण में वादी संख्या

1 पक्षकार थी, इसलिए वादी संख्या 2 की हद तक किसी भी सूरत में अबेट नहीं किया जा सकता था, इस राजनैतिक प्रभाव के कारण पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण का निर्णय तुरन्त प्रार्थीया के खिलाफ करना चाहते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की आशा नहीं रही है, इसलिए इस कन्टेम्पट प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी के तहत कन्टैम्प प्रार्थना पत्र उपतहीलदार, सम्बन्धित पटवारीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खिलाफ पेश की हुई है, जिस पर उपतहसीलदार, इस कन्टैम्पट कार्यवाही को खारिज करवाने के लिए और अपनी कार्यवाही को जायज ठहराने के लिए दावे व प्रार्थना पत्र को खारिज करवाना चाहते है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 222/2013 अनवान भगवती वगै. बनाम बंशीलाल वगै. को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 13.06.2025 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 222/2013 अनवान् भगवती वगै. बनाम बंशीलाल को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव के कारण, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकदमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का राजनैतिक प्रभाव का आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकदमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकदमा मुंतकिली के लिए कोई [illegible] है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह पैदा करता हो।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीविजयनगर

जिला कलक्टर
श्रीविजयनगर